भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 132

05 दिसम्बर, 2013 को उत्तर के लिए

स्थानांतरण नीति का उल्लंघन

132. श्रीमती बिमला कश्यप सूद :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एक ही स्थान पर पति और पत्नी की तैनाती के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक उद्यम विभाग और इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए भारतीय इस्पात प्राधिकारण लिमिटेड(सेल) के विभिन्न संयंत्रों/कार्यालयों में कई अधिशासी अधिकारियों को स्थानांतरित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी यूनिट/कार्यालय-वार और श्रेणी-वार ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या पति-पत्नी के स्थानांतरण के अनेक अभ्यावेदन विचार किए जाने हेतु लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी यूनिट/कार्यालय-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और इन अधिशासी अधिकारियों का स्थानांतरण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) भारतीय इस्पात प्राधिकारण लिमिटेड में अधिशासी अधिकारियों के रिक्त पदों का यूनिट/कार्यालय-वार ब्यौरा क्या है ?

<u>उत्तर</u>

<u>इस्पात मंत्री</u> <u>(श्री बेनी प्रसाद वर्मा)</u>

(क) से (घ): जी नहीं। सेल के कार्यपालक अधिकारियों से प्राप्त उन आवेदनों पर, जिनमें उन्होंने विभिन्न स्थानों पर उनके पति/पत्नी की तैनाती के परिणामत: एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर स्थानांतरण का अनुरोध किया हो, समय-समय पर विचार किया जाता है बशर्ते उपयुक्त पद उपलब्ध हो तथा वहां उसकी आवश्यकता भी हो। तथापि, तैनाती के वांछित स्थानों पर उपयुक्त रिक्तियां नहीं होने के कारण कुछ अभ्यावेदनों पर अनुकूल विचार नहीं हो सका।

(ड.) सेल में कार्यपालक अधिकारियों के पदों को कंपनी की निर्धारित नीति के अनुसार आवश्यकता के आधार पर भर्ती, पदोन्नति अथवा स्थानांतरण के माध्यम से समय-समय पर भरा जाता है।

****